Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour/VC/9/Dhar/MP/2017/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 03.08.2017

To,

1. The Chief Secretary,
   Government of Madhya Pradesh,
   Bhopal (Madhya Pradesh)

2 The Commissioner cum Secretary,
SC & ST Welfare Department,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal (Madhya Pradesh)

Sub: Tour Report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to Madhya Pradesh State from 28.02.2017 to 03.03.2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose copy of tour report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST to Madhya Pradesh State from 28.02.2017 to 03.03.2017 for necessary action.

It is requested that action taken/to be taken in the matter may be sent to the Commission within 15 days.

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. Collector, District- Indore (Madhya Pradesh)
2. Collector, District- Dhar, (Madhya Pradesh)
3. Collector, District- Alirajpur, (Madhya Pradesh)
4. Collector, District- Badwani, (Madhya Pradesh)
5. NIC, NCST upload on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सुश्री अनुसुईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.02.2017 को इंदौर (म.प्र.) में सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की समीक्षा हेतु ली गई बैठक की रिपोर्ट।

सुश्री अनुसुईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष,राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.02.2017 को प्रातः 10:30 बजे इंदौर (म.प्र.) में संभागीय आयुक्त के कार्यालय के सभागार में सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की समीक्षा हेतु नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, संबंधित जिलों के कलेक्टरों एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक ली गई जिसमें आयोग मुख्यालय से श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक एवं आयोग के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय से श्री आर. के. दुबे, सहायक निदेशक एवं सुश्री दीपिका खन्ना, अनुसंधान अधिकारी भी सम्मिलित हुये। बैठक में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की ओर से श्रीमती रेणु पंत, आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड) एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री जी.एस.नेताम,अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल एवंअलीराजपुर एवं बड़वानी जिलों के कलेक्टर,सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास,धार एवं जिले के संबंधित आधिकारी भी सम्मिलित हुये।

माननीया उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके एवं आयोग के अधिकारियों के साथ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक

बैठक के प्रारंभ में श्रीमती रेणु पंत, आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड),नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,इंदौर ने माननीया उपाध्यक्ष एवं उनके साथ आये अधिकारियों का स्वागत किया। तत्पश्चात् आयोग की माननीया उपाध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन, दायित्वों एवं शक्तियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष ने सितम्बर, 2016 में इंदौर,धार,अलीराजपुर तथा बड़वानी जिलों के सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और अनुसूचित जनजातियों के विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, राहत एवं पुनर्वास के संबंध में उनकी वर्तमान जीवन स्थिति को देखा था। इस दौरे से संबंधित रिपोर्ट आयोग मुख्यालय के पत्र क0–एमपी/5/2016/एसटीजीएमपी/एसईओटीएच/आरयू–IIIदिनांक 25.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

10.2016 द्वारा राज्य सरकार,नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण व संबंधित कलेक्टरों कोभेजते हुये आयोग द्वारा दी गई सलाहों पर अनुपालन रिपोर्ट चाही गई थी जो कि लगभग 4 माह बाद भी प्राप्त नहीं हुई है। अतः आयोग द्वारा इंदौर में बैठक कर इस मामले में हुई प्रगति की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया । उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से बारी–बारी से जानकारी देने का अनुरोध किया।

(क) **जिला कलेक्टर, अलीराजपुर** ने आयोग को मौखिक रूप से अवगत कराया कि आयोग की उक्त रिपोर्ट में उनके जिले से संबंधित मुद्दे 3 तरह के थे–शिकायतकर्ता के बयान पर आधारित, लिखित शिकायत पर आधारित एवं आयोग के निरीक्षण पर आधारित। सभी मामलों का परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि अलीराजपुर जिले से संबंधित संस्तुतियां रिपोर्ट के पैरा 6.1 से प्रारंभ होती हैं। इनका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:–

1. पैरा 6.1 श्री सुरवान का प्रकरण–जांच में शिकायत सही पाई गई है। शिकायत निवारण प्राधिकरण(जीआरए) में प्रकरण प्रचलन में है। आवेदक को 2 हेक्टयर भूमि पाने की पात्रता है। सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 08.02.2017 के आदेशानुसार आवेदक के परिवार को रु. 60 लाख मिलना है तथा जीआरए को दी गई सूची में उनका नाम है।
2. पैरा 6.2 श्री सिरला पिता काईना, ग्राम रूहली का प्रकरण– इनका प्रकरण जीआरए में चला था और जीआरए ने दावा निरस्त कर दिया था। आयोग की निदेशक श्रीमती के.डी.बंसौर ने जिला कलेक्टर से कहा कि इनके मामले का विस्तृत विवरण आयोग को दें ताकि मामले का परीक्षण किया जा सके। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड) ने कहा कि आवेदक यदि संतुष्ट नहीं हैं तो जीआरए के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में जा सकते हैं।
3. पैरा 6.5 श्री मकराम पिता अवतार सिंह का प्रकरण–इन्हें आवेदक ने अवयस्क माना है और उनका दावा नहीं बनता है।
4. पैरा 6.8 श्री पांडया पिता जामसिंह भिलाला का प्रकरण–यह मामला जीआरए में विचाराधीन है। वहाँ से हुये निर्णय अनुसार कार्रवाई की जायेगी।
5. पैरा 6.9 श्री झाल सिंह पिता पोटवाल का प्रकरण–इनका दावा जीआरए द्वारा अमान्य किया गया है। आवेदक यदि संतुष्ट नहीं हैं तो जीआरए के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में जा सकते हैं।
6. पैरा 6.10 श्री दिनेश पिता बल्लू तहसील सोंडवा का प्रकरण–इन्होंने रु. 50,000/– का भुगतान प्राप्त किया है।अतः इनका दावा जीआरए द्वारा अमान्य किया गया है।
7. पैरा 6.12 श्री सारगिया पिता नरगावे भिलाला ग्राम कुकडिया का प्रकरण– आवेदक की 25 प्रतिशत से कम भूमि डूब में आयी है अतः इन्हें और मुआवजे की पात्रता नहीं है।
8. पैरा 6.13 श्री प्रवीण भाई रणछोर तड़वी का प्रकरण–पुनर्वास स्थलों पर सड़क,बिजली,पानी आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग तीन– चार माह में सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी।
9. पैरा 6.14 श्री शेरसिंह भिलाला ग्राम उम्दा का प्रकरण–आवेदक ने मुआवजे की एक किश्त प्राप्त की है। उनका दावा मान्य किया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 08.02.2017 के आदेशानुसार आवेदक के परिवार को लाभ दिया जाएगा।
10. पैरा 6.15 श्री खेमा गांव माछलिया का प्रकरण–आवेदक ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है।
11. पैरा 6.16 श्रीमती वालकी बेवा रंगू ग्राम बेहड़वा का प्रकरण–जीआरए में इनका प्रकरण बंद कर दिया है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अ.,सूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

12. पैरा 6.18 श्री देवला पिता सुरतान ग्राम बेहड़वा का प्रकरण—यह मामला जीआरए में लंबित है।
13. पैरा 6.19 श्री भंगा पिता रतनीय ग्राम रोलि का प्रकरण—आवेदक अवयस्क माना गया है।
14. पैरा 6.20 श्री गीलदार पिता कोलू ग्राम कुलवट का प्रकरण— आवेदक की 25 प्रतिशत से कम भूमि डूब में आयी है अतः इन्हें और मुआवजे की पात्रता नहीं है।
15. पैरा 6.21श्री धुधरिया पिता पुनिया ग्राम कुकडिया का प्रकरण—आवेदक की 25 प्रतिशत से कम भूमि डूब में आयी है अतः इन्हें और मुआवजे की पात्रता नहीं है।
16. पैरा 6.22 श्री निमजी गेरिया तथा अन्य आवेदकों,ग्राम ककराना का प्रकरण—इन्हें पूर्व में मुआवजा प्राप्त हो चुका है।
17. पैरा 6.22.1 मछली पालन सहकारी समिति का निर्माण—स्थानीय स्तर पर मछली पकड़ी जा रही है। बांध के पूरी तरह बन जाने पर जलाशय पूरी तरह भर जाएगा तथा इसके बाद ही राज्य शासन का निर्देश होने पर सहकारी समिति का गठन संभव हो पायेगा। यह मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है।
18. पैरा 6.22.2 राशन की दुकानों पर अनाज न मिलने की शिकायत— वर्तमान में पीओएस मशीन के माध्यम से राशन वितरित किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया आधार नम्बर से जुड़ी है। यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी कार्ड धारकों को सही समय पर सही मात्रा में राशन प्राप्त हो।
19. पैरा 6.22.3 सामाजिक पेंशन नहीं मिलने की शिकायत—सभी पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था,विधवा,निराश्रित एवं विकलांग पेंशन दिया जा रहा है। आयोग की माननीया उपाध्यक्ष ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को मिले और कोई जरूरतमंद छूट न जाये।
20. पैरा 6.22.4 स्वास्थ्य से जुड़े मुददों की शिकायत— यह स्वीकार किया गया कि सामान्यतः अलीराजपुरसहित तीनों जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी है। कुछ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना भौगोलिक कारणों से कठिन है तथा कुछ अन्य इलाकों में रोजगार हेतु लोगों के पलायन के कारण टीकाकरण एवं मातृ—शिशु सुरक्षा प्रभावित होती है तथापि चिकित्सकों व नर्सों के विशेष कैंप लगा कर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।
21. पैरा 7.2 में अलीराजपुर जिले से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा— आयोग को अवगत कराया गया कि राशन वितरण से जुड़ी समस्याएं सुलझा ली गई हैं और वर्तमान मेंपीओएस मशीन के माध्यम से राशन वितरित किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया आधार नम्बर से जुड़ी है। ग्राम ककराना में पानी की टंकी बनी ही नहीं है तथा 1502 की जनसंख्या पर 18 हैंडपंप हैं । वहां फ्लोराइड की समस्या नही है। जहां समस्या थी वहां फिल्टर प्लांट के माध्यम से स्वच्छ जल दे रहे हैं। आवागमन हेतु निजी नावें चल रही हैं। बारिश के मौसम में सरकार की ओर से जलाशय के आर—पार आने—जाने के लिये सरकार की ओर से मोटर बोट चलाई जाती है जिसमें कोई भुगतान नहीं करना पड़ता।

(ख) **<u>जिला कलेक्टर, बड़वानी</u>** ने आयोग को मौखिक रूप से अवगत कराया कि आयोग की उक्त रिपोर्ट में उनके जिले से संबंधित बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:—

1. पैरा 6.3 श्री गोखरू पिता भादल का प्रकरण— आयोग को अवगत कराया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 08.02.2017 के आदेशानुसार आवेदक के परिवार को रु. 60 लाख मिलना है तथा जीआरए को दी गई सूची में उनका नाम है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2. पैरा 6.22.4 में स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों की शिकायत–बड़वानी जिले में नदी एंबुलेंस चलाई जा रही है जिससे लोग लाभांवित होते हैं। कुछ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना भौगोलिक कारणों से कठिन है तथा जिले में रोजगार हेतु लोगों के पलायन के कारण टीकाकरण एवं मातृ–शिशु सुरक्षा प्रभावित होती है तथापि चिकित्सकों व नर्सों के विशेष कैंप लगा कर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।
3. पैरा 7.1 में बड़वानी जिले से संबंधित समस्याएं–जिला कलेक्टर ने छात्रावासों में सीटों की कमी की बात स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि बड़वानी जिला शिक्षा का केंद्र बन गया है तथा यहां पर लगभग 100 वर्ष पुराना स्नातकोत्तर कॉलेज है।राज्य सरकार द्वारा पढ़ाई हेतु समूह में किराये पर रह रहे छात्रों को हॉस्टल में निवासरत मानकर भुगतान किया जा रहा है। निजी कियोस्क से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा जगह–जगह पर उपलब्ध है। शिक्षित युवक–युवतियों को रोजगार दिलाने हेतु जिले में कैंप आयोजित किया जा रहा है। 200 युवक–युवतियों का चयन रोजगार हेतु किया गया है। जिले में किसान अब गन्ना, केला और सब्जियों की खेती कर रहे हैं। हाल ही में जिले में 21 जनवरी को राज्य स्तरीय आदिवासी मेला आयोजित किया गया था। जिले में रु. 15 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया गया है। छात्रावासों में कम्प्यूटर उपलब्ध करवाए जा रहें हैं। जहां तक स्ववित्तीय पाठ्यक्रमो में अध्ययनरत छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति का प्रश्न है, इस बारे में निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है। अवलदा गांव ने निर्मित पानी की टंकी से जल वितरित न करने का कारण यह है कि बोरवेल से पर्याप्त पानी नही निकल रहा है। अतः वहां एवं पिछोरी गांव में टैंकरों से पानी प्रदाय किया जा रहा है। इसके अलावा इंदिरा सागर की नहरें भी जल प्रदाय हेतु सक्षम हैं। समस्या के स्थाई समाधान हेतु योजना बनाई गयी है जिसे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिले में लगभग 23,000व्यक्तिगत एवं 200 सामुदायिक वन अधिकार दावे मान्य किये गये हैं जबकि लगभग 27,000 दावे निरस्त भी किये गये हैं। जहां तक पाटी ब्लॉक के 7 वन ग्रामों के निवासियों को,जो डूब में आ रहे हैं और जिन्हें पुनर्वास हेतु जारी सूची में नहीं रखा गया है,को मुआवजा देने का प्रश्न है,इस बारे में राज्य स्तर पर निर्णय लिया जाना है। आयोग की माननीया उपाध्यक्ष ने सलाह दी कि निरस्त किये गये दावों का भी भली–भांति पुनर्परीक्षण कराया जाए और पात्रतानुसार उनका निपटान किया जाये। जिन स्थानों पर वन अधिकार दावे मान्य किये गये हैं वहां सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जाएं। जिन्हें वन अधिकार पत्र मिले हैं उन्हें शासन की अन्य योजनाओं से भी लाभांवित किया जाए।

(ग) **<u>सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, धार ने</u>** आयोग को मौखिक रूप से अवगत कराया कि आयोग की उक्त रिपोर्ट में उनके जिले से संबंधित बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. पैरा 6.4 श्री कैलाश आखस्या पिता अंतराम का प्रकरण–आवेदक की 25 प्रतिशत से कम भूमि डूब में आयी है और इनका प्रकरण जीआरए में विचारधीन है।जीआरए के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।
2. पैरा 6.6 श्री सुनील पिता फकर ग्राम धर्मपुरी का प्रकरण–आवेदक 50 प्रतिशत मुआवजा प्राप्त कर चुका है। उनका आवेदन जीआरए में नहीं है। और मुआवजे की पात्रता नहीं है। आयोग के उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये कि आवेदक को लिखित में इस बाबत् जानकारी दे दी जाये।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. पैरा 6.7 श्री नकुला ग्राम मूसापुर का प्रकरण– आवेदक की भूमि से अतिक्रमण हटा दिया है। वहां पर पूरी बटालियन तैनात है। आवेदक अपनी भूमि पर खेती कर रहे हैं।
4. पैरा 6.11 श्री नानसिंह ग्राम हिम्मतगढ़ का प्रकरण–आवेदक को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही है।
5. पैरा 6.23 श्री विजय पिता भारत द्वारा ग्राम कडमाल व खारपखेड़ा के मकानों का सर्वेक्षण बाकी रहने की शिकायत–नजरिया सर्वे के बाद वास्तविक सर्वे कर लिया गया है और इन ग्रामों के प्रकरण भेज दिये गये हैं। इन्हें मुआवजे का भुगतान हो जायेगा।
6. पैरा 7.3 धार जिले से संबंधित समस्याओं पर चर्चा–आयोग को बताया गया कि ग्राम निसरपुर,तहसील कुक्षी के पुनर्वास स्थल पर अनुसूचित जनजाति का छात्रावास वर्ष 2007 में बनाया गया था लेकिन निर्माण कार्य में कमी के कारण अभी तक उसे प्रारंभ नही किया जा सका है। यह छात्रावास पुरानी बसाहट से दूर है तथा बहुत से लोग पुराने निसरपुर में ही रह रहे हैं क्योंकि वह अभी डूब में नहीं आई है।नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि भवन की मरम्मत हेतु टेंडर जारी होने वाला है और काम पूरा होने पर बिजली,पानी एवं अन्य कमियां दूर कर सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास,धार के सहयोग से छात्रावास प्रारंभ कर दिया जायेगा।

(घ) **<u>नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा आयोग की रिपोर्ट पर प्रतिवेदन</u>**– श्रीमती रेणु पंत, आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड) ने आयोग की रिपोर्ट पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की ओर से लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और संबंधित बिन्दुओं पर निम्नानुसार पक्ष रखाः–

1. बिन्दु क्र. 8.2 संयुक्त सर्वेक्षण– सरदार सरोवर परियोजना अन्तर्गत अलीराजपुर, धार, बड़वानी एवं खरगोन जिले के 176 ग्राम परियोजना की डूब से प्रभावित होना संभावित है। इन ग्रामों में डूब से संभावित समस्त कृषिभूमि एवं आबादी का अर्जन किया जा चुका है। परियोजना के पूर्ण जलाशय स्तर पर जल भराव पश्चात ही वास्तविक स्थिति परिलक्षित होगी उसी के पश्चात ऐसी संपत्तियों का संयुक्त सर्वेक्षण किया जा सकेगा जो परियोजना की डूब से प्रभावित है, परंतु प्रकरण विशेष में यदि कोई व्यक्ति ऐसी आशंका व्यक्त करता है कि उसकी संपत्ति संभावित डूब से प्रभावित होगी तो वह शिकायत निवारण प्राधिकरण में प्रकरण दर्ज कर सकता है, शिकायत निवारण प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जांच की जाना संभव हो सकेगी।
2. बिन्दु क्र. 8.3 कट ऑफ ईयर–सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परियोजना के लिये मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में पांच शिकायत निवारण प्राधिकरण खण्डपीठ कार्यरत हैं, प्रत्येक खण्डपीठ में मान. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश एवं एक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पदस्थापना की गई है। प्रत्येक बैंच में ऐसे विस्थापित परिवारों के जिनमें वयस्कता, मूल निवासी आदि समस्त शिकायत के प्रकरण प्रचलित हैं तथा शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन विभाग द्वारा किया जाता है जिसमें वयस्क पुत्रों के प्रकरण भी प्रचलित हैं।
3. बिन्दु क्र. 8.4 मुआवजा राशि को दो या दो से अधिक किश्तों में दिए जाने का नियम–बेनामी रजिस्ट्री के संबंध में मान.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2017 द्वारा आदेश पारित किया गया जिस पर वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है।
4. बिन्दु क्र. 8.5 भूमि के बदले अनिवार्यतः भूमि दिए जाने के विषय में–आयोग के समक्ष अपर मुख्य सचिव न.घा.वि.प्रा. द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि म.प्र.राज्य के अनुसूचित जनजाति के

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

विस्थापितों के लिए लैण्डबैंक में लगभग 5000 हैक्टर भूमि उपलब्ध है जिसमें से 52 व्यक्तियों द्वारा भूमि के बदले भूमि विकल्प प्रस्तुत करने पर आवंटित की गयी है,शेष लैण्डबैंक की भूमि से केवल अनुसूचित जनजाति ही नहीं अपितु अन्य विस्थापित भी चयन अनुसार अपनी पसंद की भूमि आवंटन करा सकते हैं।

5. बिन्दु क्र. 8.6 पुनर्वासित की पुरानी बसाहटों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के स्थानों पर मूलभूत आवश्यकताओं को जारी रखने हेतु सुझाव–ऐसे स्थान जहां पर डूब संभावित नहीं है उन स्थानों पर मूलभूत सुविधाशासन द्वारा यथावत रखी गयी है।
6. बिन्दु क्र. 8.7 विस्थापित गांव के रहवासियों को बी.पी.एल. माना जाए–अपर मुख्य सचिव, न.घा. वि.प्रा. द्वारा आयोग को स्पष्ट किया कि म.प्र.शासन द्वारा म.प्र.शासन की योजना अनुसार 100 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के विस्थापितों को बी.पी.एल. की श्रेणी में रखा गया है जिसके अंतर्गत वह निरंतर लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
7. बिन्दु क्र. 8.8 पांच साल से विस्थापित परिवार यदि अपने मूल स्थान पर ही रह रहे हैं तो उन्हें भविष्य में विस्थापित न करें– ऐसे विस्थापित परिवार जो वर्तमान में मूल स्थान पर निवासरत हैं और वे विस्थापित घोषित हो चुके हैं, उन्हें मूलस्थान पर बांध का पानी भरने की स्थिति में वहां से हटाया जाएगा परंतु वह अपनी कृषिभूमि परियोजना से प्रभावित नहीं हुई है अथवा जलस्तर घटने से भूमि अप्रभावित है तो वह कृषि कार्य कर सकता है।
8. बिन्दु क्र. 8.9 क्रेता–विक्रेता,दलाल से संबंधित मान. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन प्रकरणों के संबंध में–मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिनांक 08.02.2017 को पारित आदेशानुसार कार्यवाही की जा रही है।
9. बिन्दु क्र. 8.10 विस्थापित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में मछली पालन समिति का निर्माण करने की अनुमति दिए जाने के संबंध में–शासन द्वारा आयोग को यह अवगत कराया गया है कि वर्तमान में मछली पालन हेतु समितियों का गठन कार्य किया जाना शासन के समक्ष विचाराधीन है।
10. बिन्दु क्र. 8.11 शासन द्वारा विस्थापितों को पुनर्स्थापित करने के आंकड़ों में जीरो बैंलेन्स–एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
11. बिन्दु क्र. 8.12 विस्थापित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान संस्थान–अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शासन द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये है, जो हर ब्लॉक स्तर पर कृषि विकास एवं अनुसंधान से संबंधित समस्त कार्यो को संचालित करते हैं।
12. बिन्दु क्र. 8.13 अतिक्रमित भूमि पर गैर कानूनी रूप से काबिज लोगों द्वारा विस्थापितों को आवंटित भूमि से भगाये जाने के संबंध में–अनुसूचित जनजाति के विस्थापित परिवारों को शासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त भूमि को ही आवंटित किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर असामाजिकतत्वों पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है तथा पुलिस सुरक्षा सदैव उपलब्ध रहती है।
13. बिन्दु क्र. 8.14 मलेरिया, सिलिकोसिस, सिकलसेल तथा एनीमिया के विषय में– शासन द्वारा प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गयी है जहां पर अनुसूचित जनजाति के विस्थापितों का मलेरिया, सिलिकोसिस, सिकलसेल तथा एनीमिया आदि समस्त बीमारियों का उपचार निःशुल्क किया जाता है।

बैठक के अंत में सुश्री अनुसुईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष,राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उपस्थित अधिकारियों से अनुसूचित जनजाति के विस्थापितों की समस्याओं का समाधान शीघ्र करने

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

का आग्रह किया और कहा कि कई मामलों में जिला प्रशासन,नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई लंबित है। समीक्षा बैठक में हुई चर्चा अनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्रवाई की जाए:–

1. बड़वानी एवं धार जिलों के कलेक्टरों एवं धार जिले के कलेक्टर द्वारा नामित प्रतिनिधि ने आयोग को मौखिक जानकारी दी है। उक्त जिलों के कलेक्टर अपने जिलों से संबंधित बिन्दुओं पर लिखित प्रतिवेदन आयोग को 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करायें।
2. यदि किसी बिन्दु पर स्थिति बदलती है या ऊपर वर्णित स्थिति से भिन्न हो तो आयोग को तदनुसार अवगत कराया जाए।
3. सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 08.02.2017 के आदेश का अनुपालन किया जाय ताकि विस्थापितों को निर्धारित मुआवजा शीघ्र मिल सके।
4. पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क,बिजली,पानी,सिंचाई आदि उपलब्ध कराने में तेजी लाई जाए।
5. पुनर्वास स्थल पर बसे व कृषि कर रहे अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/परिवारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का पात्रतानुसार लाभ पहुंचा दिया जाए ताकि उनकी आय बढ़ सके और वे विस्थापन के दुष्प्रभावों से उबर सकें।
6. राज्य सरकार द्वारा आयोग को यह अवगत कराया गया है कि वर्तमान में मछली पालन हेतु समितियों का गठन कार्य किया जाना शासन के समक्ष विचाराधीन है। इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाए।
7. धार जिले से की कुक्षी तहसील के ग्राम निसरपुर के पुनर्वास स्थल पर अनुसूचित जनजाति के छात्रावास को शीघ्र प्रारंभ किया जाए ।
8. बड़वानी जिले के पाटी ब्लॉक के 7 वन ग्रामों के निवासियों को,जो डूब में आ रहे हैं और जिन्हें पुनर्वास हेतु जारी सूची में नहीं रखा गया है, को मुआवजा देने के बारे में राज्य स्तर पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। साथ ही निरस्त किये गये वन अधिकार दावों का भली–भांति पुनर्परीक्षण कराया जाए और पात्रतानुसार उनका निपटान किया जाये। जिन स्थानों पर वन अधिकार दावे मान्य किये गये हैं वहां सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जाएं। जिन्हें वन अधिकार पत्र मिले हैं उन्हें शासन की अन्य योजनाओं से भी लाभांवित किया जाए।
9. अलीराजपुर,बड़वानी एवं धार जिलों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए एवं चिकित्सकों व पैरा–मेडिकल स्टाफ के सभी रिक्त पद शीघ्र भरे जाएं।

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi